कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 34/सी/क्रय–सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 02 , 2009

आदेश

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, अनूप ाहर जनपद बुलन्द ाहर परिक्षेत्र मेरठ की पेराई सत्र 2009–10 हेतु प्रस्तुत मांग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–1244/सी/क्रय/ग0आ0/ 2009–10 दिनांक 16–9–2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या–1245/सी क्रय/ग0आ0 2009–10 दिनांक 16–09–2009 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–12(2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान **31.24 ला0कु0** विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 के अन्तर्गत उददेश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा''।

गत वर्ष दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, अनूप ाहर जनपद बुलन्द ाहर परिक्षेत्र मेरठ ने दिनांक **23–11–2008** को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनांक **04–02–2009** को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने **73 कार्य दिवसों** में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध **76.17 ला0कु0** गन्ना उत्पादन में से लगभग **18 प्रतिशत ड्राल** करते हुए **13.81 ला0कु0** गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आबंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 08–09–2009 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में मेरठ परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009–10 में गन्ना क्षेत्र आबंटन एवं गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में सुनवाई की गई ।

विगत वर्षो में चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यो में अरूचि के कारण गत व ि के सापेक्ष इस व ि गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है । इस चीनी मिल की गत व ि सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में **28 प्रतिशत** कमी होना सम्भावित है ।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृषकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत वर्ष आबंटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया । चीनी मिल क्षेत्र में **गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता** को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **51.62 ला0कु0** गन्ना उत्पादन का आबंटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के **जनपद—बुलन्दशहर** में गन्ने की औसत उपज **561.36 कु0 प्रति हेक्टेयर** है, जो कि पेराई सत्र 2008—09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्रॉप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या—950/सी/क्रय/ग0आ0 दिनांक 12—06—2009 द्वारा संसूचित की गई है, जिसके आधार पर **51.62 ला0कु0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति **कुल 9197 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना समितियों/गन्ना कृषकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं, **सुधीर एम.बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश**, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम—1953 की धारा—15, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली—1954 के नियम—22 एवं शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर—1966 की उपधारा—6 (1)(ए) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए संलग्न तालिका के खण्ड—1(क) में अंकित क्रयकेन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009—10 के लिए **दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, अनूप ाहर जनपद बुलन्द ाहर परिक्षेत्र मेरठ** को सुरक्षित करता हूॅ तथा खण्ड—2 में इंगित क्रयकेन्द्र को उसके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिल, साबितगढ एवं रजपुरा को अभ्यर्पित करता हूॅ तथा आबंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूॅ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश—1954 के उपबन्ध—3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप—स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्रयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करता हूँ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराइ्र सत्र का समापन करें।

उपुर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009–10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेंगे, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किये जायें।

(सुधीर एम. बोबडे)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

टिप्पणी

1– इस वर्ष जिन नये क्रयकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रयकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्रयकेन्द्रों से सम्बद्व होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेंगे। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि एक कृषक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रयकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाये, एक से अधिक क्रयकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाये।

2– चीनी मिलों एंव गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रयकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रयकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्रयकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्रयकेन्द्रों पर सम्बद्व किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।

3– यदि पेराई सत्र 2009–10 में चीनी मिल द्वारा सन्तोषजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रयकेन्द्र मूलरूप मे आबंटित हुआ था।

4– गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश–1954 के उपबन्ध–3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप–स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेंगे उनके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5– चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर–1966 के खण्ड–3(3) में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निर्धारित अविध में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आबंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा।

(सुधीर एम. बोबडे)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

पत्रांक 34/सी/क्रय–सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 02 , 2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चीनी उद्योंग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

2– सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि वह उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3– निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

5– सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।

6– सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के समबन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें।

7– सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेंगे तथा यथा निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत क्रयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरूद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

8– सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियॉ।

9– अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें।

(डा0 कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

सुरक्षण आदेश संख्या 34 /सी/क्रय–सुर0 दिनांक 02 ,नवम्बर 2009 (पृष्ट सं0–1)

uke phuh fey&fn fdlku lgdkjh phuh feYl fy0] vui'kgj tuin&cqyUn'kgj ifj{k= eqjBA

[k.M&1 ¼ d ½ i`jkbl l= 2009&10

क्र0 सं0	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	केन्द्र की दूरी (कि0मी0)	गन्ना क्षेत्रफल (है0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित/ अभ्यर्पित	अभ्युक्ति

1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनूपशहर	मिलद्वार	0	3868	21.71	सुरक्षित	
2	''	दौलतपुर कलां	18	423	2.37	सुरक्षित	
3	''	मोहरसा	16	246	1.38	सुरक्षित	
4	''	डरौरा – प्रथम	14	226	1.27	सुरक्षित	
5	''	डरौरा – द्वितीय	14	221	1.24	सुरक्षित	
6	''	उॅचागांव	18	301	1.69	सुरक्षित	
7	''	थाना– गजरौला	20	215	1.21	सुरक्षित	
8	''	औरंगाबाद ताहिरपुर	20	217	1.22	सुरक्षित	
9	''	शफीनगर	22	246	1.38	सुरक्षित	
10	''	चटहेरा	15	492	2.76	सुरक्षित	
11	''	पोटा बादशाहपुर–प्रथम	14	287	1.61	सुरक्षित	
12	''	पोटा बादशाहपुर–द्वितीय	16	197	1.11	सुरक्षित	
13	''	पोटा बादशाहपुर–तृतीय	16	198	1.11	सुरक्षित	
14	''	शाहजहॉपुर–प्रथम	18	64	0.36	सुरक्षित	
15	''	शाहजहॉपुर–द्वितीय	20	199	1.12	सुरक्षित	
16	''	शाहजहॉपुर–तृतीय	12	171	0.96	सुरक्षित	
17	''	भैलई–प्रथम	9	246	1.38	सुरक्षित	
18	''	आहार	20	260	1.46	सुरक्षित	
19	''	रौण्डा – प्रथम	10	197	1.11	सुरक्षित	
20	''	ईलना–प्रथम	12	276	1.55	सुरक्षित	
21	''	चटहेरा–पश्चिम / दुलखरा	18	200	1.12	सुरक्षित	
22	''	अनीवास	10	171	0.96	सुरक्षित	
23	''	एचोरा	24	60	0.34	सुरक्षित	नया क्रय केन्द्र
24	''	कुतुबपुर प्रथम एट गेट	9	216	1.21	सुरक्षित	
		;kx		**9197**	**51.62**		

सुरक्षण आदेश संख्या 34 /सी/क्रय–सुर0 दिनांक 02 ,नवम्बर 2009 (पृष्ट सं0–1)

uke phuh fey&fn fd lku lgdkjh phuh feYl fy0] vuwi'kgj tuin&cqyUn'kgj ifj{k= esjBA

[k.M&2 ijkbZ l= 2009&10

क्र0 सं0	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	केन्द्र की दूरी (कि0मी0)	गन्ना क्षेत्रफल (है0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित/ अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनूपशहर	रतनपुर–प्रथम	39	100	0.56	अभ्यर्पित	साबितगढ मिल को
2	''	रतनपुर–द्वितीय	43	58	0.33	अभ्यर्पित	''
3	''	खुशालाबाद	40	106	0.60	अभ्यर्पित	''
4	''	राजौर–प्रथम	34	144	0.81	अभ्यर्पित	''
5	''	राजौर–द्वितीय	32	193	1.08	अभ्यर्पित	''
6	''	सतवरा–प्रथम	29	210	1.18	अभ्यर्पित	''
7	''	सतवरा–द्वितीय/एट नगलाजगत	28	319	1.79	अभ्यर्पित	''
8	''	पूठरीकलां	27	112	0.63	अभ्यर्पित	''
9	''	कुतुबपुर द्वितीय	28	216	1.21	अभ्यर्पित	''
10	''	जरगवां–प्रथम	56	66	0.37	अभ्यर्पित	''
11	''	गोकुलपुर (नया)	67	76	0.43	अभ्यर्पित	''
12	''	जरगवां–द्वितीय	53	37	0.21	अभ्यर्पित	''
13	''	सरावा–प्रथम	28	118	0.66	अभ्यर्पित	''
14	''	सरावा–द्वितीय	28	87	0.49	अभ्यर्पित	''
15	''	दौलतपुर खुर्द	23	114	0.64	अभ्यर्पित	''
16	''	पिलखना	39	53	0.30	अभ्यर्पित	''
17	''	राजघाट (नया)	45	51	0.29	अभ्यर्पित	''
18	''	गोविन्दपुर	35	86	0.48	अभ्यर्पित	''
19	''	दानपुर	23	77	0.43	अभ्यर्पित	''
20	''	पहाडपुर हवेली	25	174	0.98	अभ्यर्पित	''

21	''	हजरतपुर	24	291	1.63	अभ्यर्पित	''
22	''	भैलई द्वितीय	38	245	1.38	अभ्यर्पित	''
23	''	रूपवास प्रथम	45	83	0.47	अभ्यर्पित	
24	''	रूपवास द्वितीय	49	142	0.80	अभ्यर्पित	''
25	''	रानऊ	25	77	0.43	अभ्यर्पित	''
26	''	दरवेश पुर	26	65	0.36	अभ्यर्पित	''
27		ईलना–द्वितीय	46	336	1.90	अभ्यर्पित	नया क्रय केन्द्र ''
28	''	रौण्डा – द्वितीय	45	197	1.11	अभ्यर्पित	''
		;kx vH;fiRk		3833	21.53		

सुरक्षण आदेश संख्या 34 /सी/क्रय–सुर0 दिनांक 02 ,नवम्बर 2009 (पृष्ट सं0–1)

uke phuh fey&fn fdlku lgdkjh phuh feYl fy0] vuwi'kgj tuin&cqyUn'kgj ifj{k= esjB A

[k.M&2 iqjkbZ l= 2009&10

क0 सं0	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	केन्द्र की दूरी (कि0मी0)	गन्ना क्षेत्रफल (है0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित/ अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
29	अनूपशहर	करनपुर	18	140	0.79	अभ्यर्पित	रजपुरा मिल को
30	''	हीरापुर कलां कर्णवास	23	130	0.73	अभ्यर्पित	''
31	''	भेरिया हरिद्वारपुर–प्रथम	19	94	0.53	अभ्यर्पित	''
32	''	भेरिया हरिद्वारपुर–द्वितीय	20	83	0.47	अभ्यर्पित	''
33	''	सलामतपुर–प्रथम	21	182	1.02	अभ्यर्पित	''
34	''	सलामतपुर–द्वितीय	18	296	1.66	अभ्यर्पित	''
35	''	सिरौरा – प्रथम	17	171	0.96	अभ्यर्पित	''
36	''	सिरौरा – द्वितीय	18	228	1.28	अभ्यर्पित	''
37	''	पचदेवरा	20	62	0.35	अभ्यर्पित	''
		;kx		1386	7.78		
		dqy ;kx vH;fiZr		5219	29.31		